में वैकेंसीज रहती हैं। आज अध्यापकों की संख्या बहुत बढ़ गई है इसलिए उसका 20 प्रतिशत भी 10 हजार हो गया है। लेकिन परसेंटेजवाइज इसमें 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है। यह एकुमलेटिड संख्या नहीं है। यह इस सेक्टर का एक विशेष फीचर है। माननीय सदस्य ने जैसा इसका कारण बताया है कि इंडस्ट्री से इसका संबंध होने के कारण बहुत से लोग इंडस्ट्री में बेहतर सेवा-शर्तें मिलने के कारण वहां जाते हैं। यहां जो भी पे-स्केल्स हैं वह पंचम वेतन आयोग के साथ लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। पंचम वेतन आयोग की सिफारिश के बाद जब देश भर में सारे पे-स्केल्स का पुनर्निर्धारण होता है तभी इनका भी पुनर्निर्धारण होता है और यह कोशिश करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा-सा बेहतर बेनीफिट मिल सके इसका भी प्रयास करते हैं। लेकिन आज के दिन उस स्तर पर तनख्वाहें देना जिस स्तर से उद्योग में लोगों को मिल रही है, मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। यह भी ठीक है कि जो तनख्वाहें और जिस प्रकार की स्थिति उनकी हैं उसमें सुधार होना चाहिए। कुछ विद्यालयों में, कुछ कालेजों में हम कंसल्टेंसी की सुविधा देते हैं, आईआईटीज वगैरह में साल में 52 दिन कंसल्टेंसी कर सकते हैं और जितनी तनख्वाहें उनको मिलती हैं, उतनी ही अर्निंग वह कंसल्टेंसी से भी कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं के बारे में टास्कफोर्स और एआईसीटीई के साथ चर्चा हो रही है कि हम कैसे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोक सकें और कैसे उनकी उन्नति के लिए क्वालिफिकेशन्स को सुधारने के लिए हम मौका दे सकें।

जल संसाधनों का औद्योगिक प्रदूषण से बचाव

443. **श्री विजय सिंह यादव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधनों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो रहे पानी की मात्रा का कोई आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 प्रदूषण से जल संसाधनों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण समिति (पी.सी.सी.) तथा पूरे देश के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। बहि:स्राव छोड़ने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा एस.पी.सी.बी./ पी.सी.सी. की सहमति लिया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् इस सहमति का आवधिक रूप से नवीकरण किया जाना होगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमान लगाया है कि उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों से प्रतिदिन 83,140 मि. लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, इसमें ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होने वाला प्रतिदिन 73,975 मि. लीटर, अपशेष जल भी सम्मिलित है। औद्योगिक बहि:स्राव का यदि उचित ढंग से शोधन किया जाए तो इसे अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

Protection of water resources from industrial pollution

†443. SHRI VIJAY SINGH YADAV: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to protect the water resources from industrial pollution;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have made an assessment of the quantum of water being rendered unfit to use every year due to industrial pollution; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): (a) and (b) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 was enacted with the objective of protecting water resources from pollution. Under this Act, a State Pollution Control Board (SPCB) in every State and Pollution Control Committee (PCC) in every Union Territory and the Central Pollution Control Board for the entire country have been set up. Industrial units discharging effluents are required to take consent from the SPCB/PCC, and thereafter the consent has to be renewed periodically.

(c) and (d) The CPCB have estimated the waste water generated from different categories of industries to be 83,140 million litres per day (mld), including 73,975 mld from thermal power plants. The industrial effluent, if treated appropriately, can be used fully or partially for specific purposes.

श्री विजय सिंह यादव: माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। हम यमुना नदी को देवी मानते हैं, गंगा मैया को देवी मानते हैं और दिल्ली का सारा मल-मूत्र यमुना नदी में जाता है, गंगा नदी में बनारस से कलकत्ता तक चले जाइए, सारा मल-मूत्र से भरा हुआ है, प्रदूषण से भरा हुआ है। आप लोग कागजों में कहते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल के आदेश दिये हैं कि पांच साल में मल-मूत्र को फिल्टर करके साफ करेंगे। ये जनता को कहां

†Original notice of the question was received in Hindi.

ले जाएंगे? दिल्ली में रोज बीमारी फैल रही है, इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? हमारे यहां एक भगीरथ थे जिन्होंने गंगा मैया को देश में लाने का काम किया। क्या यह सरकार गंगा मैया को साफ करने पर तुली हुई है? एक भगीरथ हमारे पूर्वज थे जिन्होंने गंगा मैया को लाने का काम किया और ये गंगा मैया की सफाई करने पर तुले हुए हैं। यह जनता को कहां ले जाएंगे? प्रदूषण से कब तक मुक्त कराएंगे? ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.R. BAALU: Mr. Chairman, Sir, the question pertains to the pollution caused by industrial effluents. Anyhow, I will respond to the supplementary of the hon. Member. Since the Yamuna Action Plan was envisaged under the Ganga Action Plan, we sanctioned Rs. 509 crores for this project. Out of this amount, Rs. 417 crores have already been spent. Even yesterday and day- before-yesterday, I had lengthy meetings with the Delhi Government. Sir the requirement is that there should be perennial water flow and the domestic sewage that is being drained into the Yamuna River should be restricted. For that purpose, the Delhi Government is taking appropriate action. In spite of closure of more than 15 per cent of the industries under the orders of the Supreme Court which were existing four or five years back, still domestic sewage which forms part of the effluent which is being drained into the Yamuna River has to be restricted, diverted and treated properly. Sir, for the information of the House, I would like to say that the total domestic sewage being drained into the Yamuna River is 2720 MLD. Out of this only 1400 MLD is treated. The remaining 1320 MLD domestic sewage is being discharged into the Yamuna River. Out of the 16 sewage treatment plants, 9 have been commissioned and the remaining 7 are in various stages of progress. As far as industrial pollution is concerned, the total effluent discharged is about 300 MLD. For that purpose, the Government of India has already given assistance to construct 15 common Effluent Treatment Plants which are under various stages of progress. As far as Yamuna River is concerned, it starts getting contaminated by the domestic sewage of Delhi between Wazirabad and Okhla. When it reaches Agra, it further degenerates.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: आपकी नाक के नीचे यमुना नदी भी बह रही है, उसको भी देख लें।

श्री विजय सिंह यादव: ये कहानी बता रहे हैं। यह हम नहीं सुनना चाहते हैं। पांच साल हो गये, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिये हैं, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? पांच साल क्यों लिए? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। आपको दूसरा सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत मिलेगी। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: मंत्री जी बहुत लम्बा जवाब दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: हां, ठीक है।

श्री मोहम्मद आज़म खान: मंत्री जी बात को लम्बा करके कह रहे हैं।

श्री सभापति: मैंबर भी कम नहीं करते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खान: सर, यह उनका पहला प्रश्न है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय सिंह यादव: मंत्री जी कहानी बता रहे हैं, प्रदूषण से मुक्ति ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। आप बैठ जाइए।

श्री विजय सिंह यादव: सर, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। ... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सैकिंड सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री विजय सिंह यादव: सर, सैकिंड सप्लीमेंटरी पूछने का मौका तो दिया जाएगा। ... (**व्यवधान**)... सर यह पांच साल का टाइम क्यों ले रहे हैं? यह रावण की तरह यमुना मैया को, गंगा मैया को समाप्त तो नहीं करने जा रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

SHRI T.R. BAALU: Sir, the Central Government and the Delhi State Pollution Control Committee are actively interacting ... (*Interruptions*)... Sir, this problem will be solved quickly. Sir, the other STPs, the sewage treatment plants, will be commissioned during March, 2001.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह रिमार्क पास नहीं होना चाहिए। सही ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

12.00 NOON

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश): सर, पंजाब में पैडी का किसान...(**व्यवधान**)...

MR CHAIRMAN: Not now. Please sit down. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)*

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): Sir*, ... *(Interruptions)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir*, ... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. *(Interruptions)* Nothing will go on record. *(Interruptions)* You have not taken permission. Please sit down. Nothing will go on record. *(Interruptions)* I cannot hear anything. *(Interruptions)* I cannot hear anything when so many people are shouting. *(Interruptions)* No, no.... Short Notice Question No. 1. *(Interruptions)* Nothing will go on record. *(Interruptions)* Nothing will go on record. Please sit down. If you continue standing nothing will come out. All of you should sit down. Now we will take up the Short Notice Question. *(Interruptions)*

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir I had sought your permission.

MR. CHAIRMAN: No, you have not sought my permission in the Chamber. I have given permission to those who have met me. Now, we will take up the Short Notice Question No. 1. Shri Arjun Singh.

SHORT NOTICE QUESTION

Notice by Tamil Nadu Government to MDMA to Vacate Malligai Housing Complex at Chennai

1. SHRI ARJUN SINGH:†
SHRI PRANAB MUKHERJEE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be please to state:

(a) whether it is a fact that Tamil Nadu Government has asked MDMA to vacate Malligai Housing Complex in Chennai from where they were functioning;

(b) if so, what is the reaction of Union Government;

(c) whether it is a fact that MDMA started inquiry into activities of some influential persons including Shri Kashinandan and Smt. Subbulakshmi Jagadeesan, Ex-Minister;

(d) whether MDMA is to function directly, under the Home Ministry; and

---

* Not recorded.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Arjun Singh.

(e) whether it is also a fact that MDMA has requested for Letters Rogatory to be sent to a number of countries?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b) Earlier the Government of Tamil Nadu had permitted the CBI (MDMA) to occupy the "Malligai' building till 10th September, 2000. The Government of Tamil Nadu have since extended the time upto 10th March, 2001.

(c) Yes, Sir. The MDMA is conducting investigations against Smt. Subbulakshmi Jagadeesan and Shri Kasi Anandan.

(d) MDMA has been constituted by the Government *vide* Department of Personnel and Training's Office Memorandum of 2.12.1998 and further investigations were started by the MDMA after obtaining necessary permission from the Designated Court at Chennai on 17.6.1999. The MDMA is functioning under CBI, which administratively is under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(e) For conducting investigations abroad, the MDMA have proposed to sent Letters Rogatory to all the countries where further investigations are required to be conducted.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, is the hon. Home Minister aware of the fact that the Government of Tamil Nadu is not giving access to many documents which the MDMA requires? I would like to know whether this approach has come about since the investigation was started into the activities of Shri Kasi Anandan and Smt. Subbulakshmi Jagadeesan.

SHRI L. K. ADVANI: Sir, so far as the Government of India is concerned, we have received no such complaints about non-cooperation. In fact, the only problem that did arise was in respect of this building where the MDMA was in office. In that connection, when we spoke to the Government of Tamil Nadu, they agreed to extend the period upto March, 2001, and I do not think there will be any problem. Till now, the investigations are going on in the right direction.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, does the Home Minister feel that it will be appropriate to allow the MDMA to retain these premises till the investigations are over, because shifting the premises every now and then — six months or one year — detracts from the investigation itself? Will the Home Minister kindly ensure this?

SHRI L. K. ADVANI: There is no proposal to shift the offices. As the situation stands today, the term of the MDMA is also upto December, 2000, though I am — sure that in the month of October or so, we will have to review the progress made as to whether the extension is to be granted or not but the Government does not propose to see that the offices keep shifting.

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कांग्रेस की मांग पर एम.डी.एम.ए. की चैन्नई ब्रांच आफिस को मल्लिगई हाउसिंग कॉम्पलक्स में 10 मार्च, 2001 तक के लिए एक्सटैंशन दिलाने के लिए पहल की है। मेरे पूरक प्रश्न के 3 भाग हैं। ए- क्या यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि एम.डी.एम.ए. का अपना इंवेस्टिगेशन के लिए जो दो वर्ष का निर्धारित समय है, उसमें वह अपना इंवेस्टिगेशन पूरा कर लेगी? बी- क्या यह सही है कि विदेश मे इंवेस्टिगेशन करने के लिए एम.डी.एम.ए. ने 20 देशों को लैटर ऑफ रोगेटरी भेजने के प्रस्ताव किए थे जिनमें स्वीडन और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जिनके मामले में सरकार ने क्लियरेंस दे दी है और जिसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक चन्द्रास्वामी और दूसरे कुमार पद्मनाभन की संदिग्ध भूमिका की जांच करने का उल्लेख है। यह एप्रूवल सरकार ने सी.बी.आई. को स्वीडन हेतु 23 जून, 2000 और जर्मनी हेतु 20 जुलाई, 2000 को कन्वे की है, इस संबंध में जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है? मेरे पूरक प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि जो एम.डी.एम.ए. के इंचार्ज, ज्वाइंट डायरेक्टर सी.बी.आई. हैं, उनके अधीन दो डी.आई.जी. हैं। एक डी.आई.जी. को यूनिट-3 और यूनिट-4 की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें कुछ व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच करने का उल्लेख है। साथ ही जो कोडेड मैसेज उस समय मिले थे उनके डी-कोडेड होने में देरी का प्रावधान है? क्या उस विषय में यूनिट-3 और यूनिट-4 द्वारा जांच कर ली गई है, यदि कर ली गई है तो उसकी क्या प्रगति है? इसके साथ ही स्वीडन और जर्मनी के संबंध में सी.बी.आई. को जो क्लियरेंस दिया है, उसमें लैटर आफ रोगेटरी के द्वारा क्या जांच की है, यदि की है तो उसकी क्या प्रगति है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मान्यवर, सभापति जी, पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के जघन्य हत्या के संदर्भ में सबको जानकारी है कि पहले पहल सरकार ने जो कमीशन आफ इंक्वायरी बैठाया, उस जैन कमीशन को जांच करने में साढ़े छः साल लगे। साढ़े छः साल बाद भी उसने कुछ बातों के बारे में आशंका प्रकट की है, किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचे, ऐसा नहीं है, केवल आशंकाएं प्रकट की हैं। इसके बाद संसद मे बहस हुई और संसद की बहस के परिणामस्वरूप चूंकि सरकार ने कहा कि हम तो इस बात में इन्टरेस्टिड हैं कि सत्य की खोज हो और सत्य का पता लगे। इसलिए हमने कहा कि इस बारे में और जांच करने की जरूरत हो तो हम वह भी करने के लिए तैयार हैं और इसलिए यह एम.डी.एम.ए. बनाई गई है। अब मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा कि जब कोई इंवेस्टिगेशन चल रही हो तो इंवेस्टिगेशन के चलने के दौरान सरकार आकर बताए कि अभी तक यह पाया गया है यह नहीं पाया गया है, यह उचित नहीं होगा। इतना ही मैं आश्वासन देना चाहूंगा

कि कोई भी बाधा होगी तो उसको दूर करने की दिशा में हम समुचित कदम उठाएंगे। हम चाहेंगे कि यह जांच ठीक प्रकार से हो और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं है।

SHRI C. P. THIRUNAVUKKARASU: After a thorough investigation by the SIT, a chargesheet has been filed in the TADA Court against 27 persons. Out of them, the Trial Court has sentenced twenty-six persons to death. Against this, an appeal was filed before the Supreme Court. The apex acquitted some accused, modified some sentences and, ultimately, gave sentence of death to only four persons. The investigation is over. At this stage, the question is whether there is a need or necessity to conduct a further investigation into this matter?

The Minister says that we are not afraid of any probe into this matter and we welcome the investigation by MDMA. My request to the MDMA is, the investigating body may kindly be dispose of it the earliest. We need not prolong the matter further and have a fight over the vacation of the building; as to when it will be vacated or when it will not be vacated. So, I request the MDMA to kindly dispose of the matter at the earliest possible opportunity.

As my friend Shri Pachouri has said, we will have to do a lot of investigation with regard to the involvement of Shri Chandraswami in this case and also about the murder of Shri Shanmugam. There are also some doubts about the security provided at Sriperumbudur where the assassination took place. So, a probe may kindly be made in this regard. I expect an answer from the hon. Minister in this regard.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, the hon. Member has expressed keenness that the probe be completed within the prescribed time. You would appreciate, after a decision was taken here, in Parliament, to set up the MDMA, permission had to be taken from the designated court, which itself took time. It was only in June, 1999, that we got the permission; and, now, as it is the term of the MDMA is up to December. I have already said that around the Month of October, we will certainly review the position and then come to a conclusion. I would like to see to it that it is completed early.

MR. CHAIRMAN: Now, the Short Notice Question is over. *(Interruptions)*